

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

प्रेषक,

विनोद कुमार झा,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-अवर सचिव,  
बिहार भूमि न्यायाधिकरण, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

विषय :- मुख्य शीर्ष 2014-न्याय प्रशासन -106-लघु वाद न्यायालय -0003- बिहार भूमि न्यायाधिकरण मांग सं०-40 विपत्र कोड एन 2014001060003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 48,83,000/- (अड़तालीस लाख तेरासी हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उपबंधित राशि में से वेतनादि एवं अन्य मदों में लेखानुदान द्वारा उपलब्ध राशि 33.33% की सीमा अंतर्गत, हजार के गुणक में 33% कुल 48,83,000/- (अड़तालीस लाख तेरासी हजार) रुपये मात्र इकाईवार आवंटित की जाती है:-

विषय शीर्ष	इकाई का नाम	बजट उपबंध	लेखानुदान द्वारा उपलब्ध राशि 33.33 प्रतिशत	आवंटित राशि हजार के गुणक में (33 प्रतिशत)	शेष राशि
0101	वेतन	26,66,000	8,88,577.8	8,79,000	17,87,000
0103	जीवन यापन भत्ता	36,78,000	12,25,877.4	12,13,000	24,65,000
0104	मकान किराया भत्ता	4,49,000	1,49,651.7	1,48,000	3,01,000
0105	परिवहन भत्ता	12,000	39,99.6	3,000	9,000
0106	चिकित्सा भत्ता	1,83,000	60,993.9	60,000	1,23,000
0107	अन्य भत्ता	36,000	11,998.8	11,000	25,000
	योग वेतन एवं अन्य भत्ते	<b>70,24,000</b>	<b>23,41,099.2</b>	<b>23,14,000</b>	<b>47,10,000</b>
0601	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	5,00,000	1,66,650	1,65,000	3,35,000
1101	यात्रा व्यय	3,00,000	99,990	99,000	2,01,000
1301	कार्यालय व्यय	15,00,000	4,99,950	4,95,000	1,00,500
1302	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	8,00,000	2,66,640	2,64,000	5,36,000
1303	दूरभाष	3,00,000	99,990	99,000	2,01,000
1304	विद्युत प्रभार	8,00,000	2,66,640	2,64,000	5,36,000
2001	आतिथ्य व्यय	50,000	16,665	16,000	34,000
2002	कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	5,00,000	1,66,650	1,65,000	3,35,000
2801	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	25,39,000	8,46,248.7	8,37,000	17,02,000
5201	मशीनें एवं उपस्कर	5,00,000	1,66,650	1,65,000	3,35,000
	कुल	<b>1,48,13,000</b>	<b>49,37,172.9</b>	<b>48,83,000</b>	<b>99,30,000</b>

(अड़तालीस लाख तेरासी हजार रुपये मात्र)

कृ०प०उ०

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की जायगी।
3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड, माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 वि०(2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.2015 के आलोक में किया जा रहा है।
5. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वेतन एवं भत्ते मद में उपबंधित राशि में से लेखा अनुदान द्वारा उपलब्ध राशि एक तिहाई की सीमा के अधीन है। वर्ष 2014-15 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान 2015-16 के बजट उपबंध/आवंटन के संबंधित शीर्ष/विषय शीर्ष में प्रावधानित राशि से किया जा सकता है।
6. राशि के निकासी के बाद व्यय विवरणी, कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ शीघ्र भेज दी जाय।
7. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(विनोद कुमार झा),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :- ...../रा०, पटना-15, दिनांक :-.....  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(विनोद कुमार झा),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :- ...../रा०, पटना-15, दिनांक :-.....  
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना / लेखा शाखा, बिहार भूमि न्यायाधिकरण (दो प्रतियो में)/अध्यक्ष, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(विनोद कुमार झा),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :- 03.59/रा०, पटना-15, दिनांक :- 17/4/15  
प्रतिलिपि :- विभागीय आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा),  
सरकार के अपर सचिव।

16.4